20/8/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को वाद पत्र जवाब दिलाई गई कोई अपील नहीं आई। अतः दावा वादी अहमद हजारी व अन्य पक्षों में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होवे। दफ्तर से कम हो वाहलकील जाने। उपरोक्त लेख मारूफ हो सुनाया।

20/8/24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०